

मूल हिन्दी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं० 267*
21 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए
भवनों के लिए ऑनलाइन अनुमति

*267 श्री गोपाल शेटी:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नगरपालिकाओं और नगर निगमों ने भवनों के लिए ऑनलाइन अनुमति प्राप्त किए जाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में नगरपालिकाओं और नगर निगमों, विशेषकर बृहन्मुम्बई नगर निगम (एमसीजीएम) ने कारोबार करने की सुगमता (ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस) से सम्बन्धित सरकार की पहल के अंतर्गत भवन निर्माण की स्वीकृति के लिए वास्तुकारों को प्राधिकृत किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

‘भवनों के लिए ऑनलाइन अनुमति’ के संबंध में दिनांक 21.12.2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 267* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): शहरी नियोजन राज्य का विषय है। संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है जो राज्य सरकार द्वारा कार्यों के हस्तांतरण के अधीन है। भारत सरकार की इस मामले में केवल सलाहकार की भूमिका है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देश में शहरी विकास के लिए योजनाबद्ध और कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करता है। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के तहत, ऑनलाइन भवन अनुमति प्रणाली का कार्यान्वयन सुधार घटकों में से एक है। राज्यों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, 449 अमृत शहरों सहित 3599 यूएलबी में ऑनलाइन भवन अनुमति प्रणाली (ओबीपीएस) है।

(ग) और (घ): ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम)/बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) से प्राप्त प्रतिक्रिया के अनुसार, वास्तुकला परिषद में पंजीकृत आर्किटेक्ट और बीएमसी प्राधिकरण योजना में पंजीकृत लाइसेंस प्राप्त पर्यवेक्षकों और इंजीनियरों को कम जोखिम और मध्यम जोखिम के रूप में वर्गीकृत भवन प्रस्ताव योजना को अनंतिम मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है। 150 वर्ग मीटर तक के खाली प्लॉट क्षेत्र पर निर्मित भवनों को कम जोखिम वाले तथा 151 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक के खाली प्लॉट क्षेत्र पर निर्मित भवनों को मध्यम जोखिम वाले भवन माने जाते हैं।
